उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-129/2019/1973/92-2-19-45जांच/2018

लखनऊ:: दिनांक:: 17 अक्टूबर,2019

कार्यालय-ज्ञाप

श्री नीरज कुमार सिघंल, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बागपत के विरूद्ध की गयी शिकायतों के संबंध में निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दि0 17-01-2019 द्वारा उपलबध करायी गयी आख्या में श्री सिंघल द्वारा अपने अधीनस्थों एवं कार्य पर शिथिल नियंत्रण रखने, जिला प्रशासन द्वारा चाहे गये प्राक्कलनों को समय से प्रेषित न करने, विलेज ड्रेनेज हेतु प्रशासनिक स्वीकृति लागत रू0 129.00 लाख के सापेक्ष गांव के अंदर जल निकासी हेतु नाली निर्माण का प्राक्कलन प्रेषित न करने तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों के मध्य कम्युनिकेशन गैप होने के लिये प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने के कारण शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-30/2019/229/92-2-19-45जांच/18 दिनांक 14-02-2019 द्वारा श्री नीरज कुमार सिंघल, तत्का0 अधिशासी अभियंता,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बागपत सम्प्रति प्रखण्ड-फतेहपुर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/ मुख्य अभियंता(प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्रसं0-717/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच/ मु0बाद /19-20 दिनांक 24-08-2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित सभी 03 आरोपों में से कोई भी आरोप स्थापित नही पाया गया।

3- अत: अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित सभी तीनो आरोप निराधार पाये जाने एवं प्रकरण में किसी भी प्रकार की शासकीय क्षति कारित न होने के द्रष्टिगत अपचारी अधिकारी श्री नीरज कुमार सिंघल, तत्का0 अधिशासी अभियंता,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बागपत सम्प्रति प्रखण्ड- फतेहपुर के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-30/2019/229/92-2-19-45जांच /2018 दिनांक 14-02-2019 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही बिना किसी दण्ड के एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-129/2019/1973/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

2- श्री नीरज कुमार सिंघल, तत्का0 अधिशासी अभियंता ग्रा0अ0वि0 प्रखण्ड-बागपत सम्प्रति प्रखण्ड-फतेहपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।